न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश

(बलात्कार एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम संबंधी),

न्यायालय संख्या–२, फतेहपुर ।

सत्र परीक्षण सं०–८८ सन २०२०

राज्य.....प्रति.....धुक्कड पासी आदि

दिनांक–२४–०३–२०२१

पत्रावली आज अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र १९ब, अंतर्गत धारा २२८ दं०प्र०सं० पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुयी।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थनापत्र १९ब पर प्रार्थीगण के रूप में मात्र 'धुक्कड पासी आदि' अंकित है, जिसके संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से कथन किया गया कि उक्त प्रार्थनापत्र समस्त अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र १९ब में सारतः कथन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मि० संख्या २९०/२०२१ में पारित आदेश दिनांकित १८–०२–२०२१ के परिप्रेक्ष्य में निवेदन किया गया है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन कथानक को झूठा पाए जाने के पश्चात् न्यायालय में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर वादी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दाखिल कर प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। परिवादी उमेश उर्फ बृजेश कुमार के बयान अंतर्गत धारा २०० दं०प्र०सं० तथा पी०डब्ल्यू०१ ध्रुव नारायण तिवारी व पी०डब्ल्यू०२ राजेश कुमार तथा पी०डब्ल्यू०३ डाक्टर नरेन्द्र विशाल के बयान अंतर्गत धारा २०२ दं०प्र०सं० अंकित किए गए। साक्षीगण के बयान व चिकित्सकीय प्रपत्रों के आधार पर धारा ३०७ भा०दं०सं० का आरोप नहीं बनता है। चोटहिल उमेश उर्फ बृजेश कुमार की आघात आख्या प्रथमदृष्टया फर्जी लगती है, क्योंकि योग्य व कुशल डाक्टर के द्वारा इस प्रकार की अशुद्ध आख्या तैयार किया जाना संभव नहीं है। धारा २०२ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित चिकित्सक साक्षी द्वारा आघात आख्या तैयार नहीं की गयी है। आघात आख्या के अनुसार चोटहिल को कोई भी चोट फायर आर्म के द्वारा आना नहीं कहा गया है, बल्कि हार्ड व ब्लन्ट आबजेक्ट द्वारा आनी कही गयी है। कोई भी चोट गंभीर व वाइटल पार्ट में आना नहीं दिखायी गयी है। प्रार्थीगण के खिलाफ धारा ३०७ भा०दं०सं० का अपराध नहीं बनता है। एक्स–रे रिपोर्ट तैयार करने व चोटहिल की आघात आख्या तैयार करने वाले डाक्टर को परीक्षित नहीं कराया जाना आघात आख्या को संद्विग्ध बनाता है। आघात आख्या में डाक्टर द्वारा कथित चोटों की गहराई की नाप न लिखना आघात आख्या को संद्विग्ध बनाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक्स–रे टैक्नीशियन द्वारा वादी मुकदमा से मिलकर कूटरचित कर एक्स–रे प्लेट व एक्स–रे रिपोर्ट फर्जी तैयार किया गया है। पी०डब्ल्यू०३ चिकित्सक ने अपने बयान अंतर्गत धारा २०२ दं०प्र०सं० में मात्र यह बयान दिया है कि चोटहिल द्वारा फायर आर्म की चोट आना बताया गया था तथा चोटहिल का इलाज साक्षी के द्वारा ही किया गया है। इस

आधार पर कथित चोटहिल की फायर आर्म इंजरी साबित नहीं होती है। धारा २०२ दं०प्र०सं० के बयान में भी जान से मारने की नियत का उल्लेख नहीं है तथा आघात आख्या में डाक्टर द्वारा गंभीर चोटें दर्शित नहीं की गयी है। उक्त आधारों पर यदि कोई अपराध बनता भी है तो वह मात्र ३२४ भा०दं०सं० का है, न कि ३०७ भा०दं०सं० का है। चोटहिल को सभी चोटें बायी तरफ आना कहा गया है जो चोटहिल को मोटर साइकिल से गिरने से भी आ सकती हैं। उक्त परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिवीजन संख्या २९०/२०२१ में पारित आदेश दिनांकित १८–०२–२०२१ को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण को धारा ३०७ भा०दं०सं० के अपराध से मुक्त कर विचारण हेतु पत्रावली को मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रेषित किए जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र १९ब के विरूद्ध वादी मुकदमा बृजेश कुमार त्रिपाठी की ओर से आपत्ति २१ब प्रस्तुत की गयी है जिसमें सारतः कथन किया गया है कि वादी ने सरकारी धन गबन का अपराध संख्या–९१/२०१७ थाना खखरेरू में लिखवाया था। सुलह न होने पर मुकदमें के अभियुक्तगण एवं अन्य लोगों ने दिनांक ३०–०८–२०१७ की घटना कारित किया। आपत्ति में दिनांक ३०–०८–२०१७ की घटना को पुनः वर्णित करते हुए यह अंकित किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पारित तलबी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा ४८२ सं० ३३३१५/२०१९ में सही पाते हुए अभियुक्तगण की पत्रावली की कार्यवाही को निरस्त करने की याचना को निरस्त किया है। अभियुक्तगण की ओर से धारा २२७ दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिया गया प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। पश्चातवर्ती धारा २२८ दं०प्र०सं० का प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण द्वारा नॉट प्रेस किया गया तथा पुनः १२–०३–२०२१ को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा २२८ दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल रिवीजन संख्या–२९०/२०२१ दिनांक १८–०२–२०२१ को निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान प्रार्थनापत्र मात्र मुकदमें की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ३०७ भा०दं०सं० के आरोप का पर्याप्त आधार है। प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा उमेश कुमार उर्फ बृजेश त्रिपाठी की ओर से प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर में मु०अ०सं० १०३/२०१७ अंतर्गत धारा १४७, १४८, १४९, ३०७, ३९४, ४२७ व ५०६ भा०दं०सं० अंकित किया गया था। तहरीर में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी/ वादी मुकदमा उमेश कुमार उर्फ बृजेश त्रिपाठी दिनांक ३०–०८–२०१७ को दवा लेकर घर आ रहा था। तभी शाम ०७:३० बजे के लगभग लोहारपुर चौराहे से लगभग १००–१५० मीटर की दूरी पर घात लगाए मुल्जिमान धुक्कड पासी, मनोज, लवलेश, अखिलेश, बबलू, आशू, धर्मराज, रामराज व चार अन्य अज्ञात लोगों

ने घेरा बंदी करके प्रार्थी/वादी की मोटर साइकिल में डीसीएम सं०–यू० पी०–७१–टी/२५१८ से टक्कर मारकर गाडी को ध्वस्त कर दिया। प्रार्थी जान बचाकर भागा तो धुक्कड ने ललकारा कि जाने न पाए, इसे दौडाकर गोली मार दो। इस पर धुक्कड के उक्त साथियों ने प्रार्थी के ऊपर लगातार कई फायर शुरू कर दिए। दो गोलिंया प्रार्थी के बाए हाथ में लगी। प्रार्थी को दौडाकर बंदूक व तमंचों के कुंदों से मारा और प्रार्थी के जेब में पडे १८००/–रूपए लूट लिए। आस पास के लोगों के इकट्ठा होने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने प्राथमिक उपचार हेतु प्रार्थी को खागा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने की दशा में प्रार्थी को जिला चिकित्सालय फतेहपुर रिफर कर दिया, जहां प्रार्थी का इलाज सुचारू रूप से हो रहा है। प्रार्थी की उक्त तहरीर पर उक्त मुकदमा कायम कर विवेचना की गयी। साक्ष्य के अभाव में प्रकरण में पुलिस द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसके विरूद्ध वादी की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया।

परिवादी के बयान अंतर्गत धारा २०० दं०प्र०सं० अंकित किए गए। २०२ दं०प्र०सं० के अंतर्गत तीन साक्षीगण ध्रुव नारायण तिवारी, राजेश कुमार व डाक्टर नरेश विशाल के बयान अंकित किए गए। तत्पश्चात दिनांक १३–०५–२०१९ के आदेश के द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया धारा १४७, १४८, १४९, ३०७, ४२७ व ५०६ भा०दं०सं० का अपराध बनता पाए जाते हुए उक्त धाराओं में अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किया गया । पत्रावली सत्र सुपुर्दगी आदेश के पश्चात् इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

पत्रावली पर धारा २०० व २०२ दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त वादी मुकदमा उमेश उर्फ बृजेश की चिकित्सकीय आख्या भी संलग्न है। जिला चिकित्सालय, फतेहपुर में निर्मित उक्त चोट प्रपत्र के अनुसार चोटहिल का परीक्षण दिनांक ३१–०८–२०१७ को प्रातः ११:३० बजे आरंभ हुआ था। प्रार्थी के शरीर पर लगभग एक दिन पुरानी सख्त व कुंद वस्तु से की गयी छः चोटें अंकित हैं। रेडियोलॉजिस्ट की एक्स–रे के संबंध में आख्या दिनांक १६–०९–२०१७ के अनुसार चोटहिल के बाए हाथ में धातु की तीन अस्पष्ट छायाएं (three radio opaque shadow of metalic shadow density noted in the region of left forearm) हैं।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा ने थाने में प्रस्तुत तहरीर में घटना दिनांक ३०–०८–२०१७ का विवरण प्रस्तुत किया है। प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र/परिवाद पत्र में भी परिवादी के द्वारा घटना दिनांकित ३०–०८–२०१७ को उल्लिखित किया गया है। परिवादी के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा २०० दं०प्र०सं० में व साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा २०२ दं०प्र०सं० मे भी घटना का समर्थन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा २२७ दं०प्र०सं० को इस न्यायालय के आदेश दिनांकित ०८–०१–२०२१ द्वारा निरस्त किया गया है। उक्त आदेश दिनांकित ०८–०१–२०२१ में न्यायालय ने

यह स्पष्ट मत प्रकट किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से न्यायालय की राय में ऐसी उपधारणा किए जाने का आधार पर्याप्त है कि अभियुक्तगण द्वारा धारा १४७, १४८, १४९, ३०७, ४२७ व ५०६ भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध कारित किया गया है। इस न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा योजित आपराधिक पुनरीक्षण संख्या २९०/२०२१ मनोज कुमार व ग्यारह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिनांक १८–०२–२०२१ को आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांकित १८–०१–२०२१ को उचित पाया है तथा पुनरीक्षण को निरस्त किया है। उक्त पुनरीक्षण में ही माननीय उच्च न्यायालय ने अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर धारा ३०७ भा०दं० सं० के आरोप के संदर्भ में विचार करने हेतु निर्देशित किया है।

अभियुक्तगण की ओर से धारा २२८ दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र १९ब में यह आधार लिया गया है कि साक्षीगण के बयान में जान से मारने की नियत होने का उल्लेख नहीं है तथा चोटहिल का आघात आख्या में भी चिकित्सक द्वारा गंभीर चोट को दर्शित नहीं किया गया है। साथ ही यह भी आधार लिया गया है कि चोटहिल की कोई भी चोट मार्मिक स्थल (वाइटल पार्ट) पर नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ३०७ भा०दं०सं० का आरोप नहीं बनता है। न्यायालय उक्त आधारों पर धारा ३०७ भा०दं०सं० का आरोप न बनने तर्क को उचित व विधिक नहीं पाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम हरदीप सिंह, AIR 2019 SC 1120** की विधि व्यवस्था में यह स्पष्टतया अभिनिर्णीत किया है कि धारा ३०७ भा०दं०सं० का अपराध कारित होने के लिए चोट का गंभीर प्रकृति का होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस आशय अथवा ज्ञान के साथ उपहति कारित की जाती है कि वह मृत्यु कारित कर सकता है तो धारा ३०७ भा०दं०सं० का अपराध आकृष्ट होता है। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्णीत किया है कि धारा ३०७ भा०दं०सं० के अपराध के लिए उपहति को शरीर के मार्मिक स्थल (वाइटल पार्ट) पर होना भी आवश्यक नहीं है। (*"Section 307 uses the term "hurt" which has been explained in Section 319, I.P.C.; and not "grievous hurt" within the meaning of Section 320 I.P.C. If a person causes hurt with the intention or knowledge that he may cause death, it would attract Section 307."..."If the assailant acts with the intention or knowledge that such action might cause death, and hurt is caused, then the provisions of Section 307 I.P.C. would be applicable. There is no requirement for the injury to be on a "vital part" of the body, merely causing 'hurt' is sufficient to attract S. 307 I.P.C."*)। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **आर प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य, AIR 2004 SC 1812** की विधि व्यवस्था में भी यह स्पष्टतया अभिनिर्णीत किया

है कि धारा ३०७ भा०दं०सं० का अपराध कारित होने के लिए आशय का होना तथा तत्संबंध में किसी प्रकट कार्य को किया जाना ही पर्याप्त है। इस हेतु यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की शारीरिक उपहति कारित की गयी हो, जो मृत्यु कारित करने में सक्षम हो। यद्यपि वास्तविक रूप में कारित उपहति की प्रकृति को आशय के निर्धारण के लिए संदर्भ में लिया जा सकता है किन्तु इस आशय का निर्धारण अन्य परिस्थितियों के आधार पर भी किया जा सकता है तथा ऐसा निर्धारण कुछ वादों में चोटहिल को कारित वास्तविक उपहति को संदर्भ में लिए बिना भी किया जा सकता है। उक्त आशय का निर्धारण तथ्यों व परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जाना संभव है (*"It is sufficient to justify a conviction under Section 307 if there is present an intent coupled with some overt act in execution thereof. It is not essential that bodily injury capable of causing death should have been inflicted. Although the nature of injury actually caused may often give considerable assistance in coming to a finding as to the intention of the accused, such intention may also be deduced from other circumstances, and may even, in some cases, be ascertained without any reference at all to actual wounds."*)। इसी प्रकार के विधिक सिद्धांत को **जागेराम बनाम हरियाणा राज्य 2015 AIR SCW** 910 की विधि व्यवस्था में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है (*"Whether the accused person intended to commit murder of another person would depend upon the facts and circumstances of each case. To justify a conviction under Section 307 IPC, it is not essential that fatal injury capable of causing death should have been caused. Although the nature of injury actually caused may be of assistance in coming to a finding as to the intention of the accused, such intention may also be adduced from other circumstances. The intention of the accused is to be gathered from the circumstances like the nature of the weapon used, words used by the accused at the time of the incident, motive of the accused, parts of the body where the injury was caused and the nature of injury and severity of the blows given, etc."*)।

उक्त विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि धारा ३०७ भा०दं०सं० के अपराध को कारित होने के लिए न तो उपहति का गंभीर प्रकृति का होना आवश्यक है, न ही उपहति का प्राण घातक होना आवश्यक है और न ही उपहति का किसी मार्मिक स्थल पर

होना आवश्यक है। उक्त हेतु तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के द्वारा जान से मारने की नियत होना ही पर्याप्त है।

इस विधिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की मोटर साइकिल में न केवल डीसीएम से टक्कर मारी थी वरन् वादी मुकदमा को दौडाकर कई बार फायर भी किया था। वादी मुकदमा के ऊपर अभियुक्तगण द्वारा फायर किए जाने का स्पष्ट बयान परिवादी उमेश उर्फ बृजेश ने धारा २०० दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिया है। पी०डब्ल्यू०१ ध्रुव नारायण तिवारी ने अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित रहकर जान से मारने की नियत से टक्कर मारकर वादी/परिवादी को गिरा देने और जान से मारने की नियत से फायर करने का स्पष्ट कथन किया है। इसी प्रकार का कथन पी०डब्ल्यू०२ राजेश कुमार ने अपने बयान अंतर्गत धारा २०२ दं०प्र०सं० में किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान स्तर के साक्ष्य से यह उपधारणा करने का पूर्ण आधार है कि अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नियत से उपहति कारित की गयी है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के उक्त आधारों पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ३०७ भा०दं०सं० में आरोप विरचित न किया जाना विधि सम्मत नहीं है। न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किए गए उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाता है।

धारा ३०७ भा०दं०सं० में आरोप न बनने का एक अन्य आधार यह भी बताया गया है कि आघात आख्या प्रथमदृष्टया फर्जी है। जिस डाक्टर को धारा २०२ दं०प्र०सं० के अंतर्गत साक्षी के रूप में उपस्थित किया गया है उस डाक्टर ने आघात आख्या तैयार नहीं की है। इस साक्षी द्वारा चोटहिल के बताने के आधार पर फायर आर्म की चोट आने का बयान दिया गया है। प्रार्थनापत्र के उक्त आधारों पर भी न्यायालय प्रार्थनापत्र को स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाता है। आघात आख्या के फर्जी होने अथवा न होने के संबंध में कोई भी निष्कर्ष साक्ष्य संकलन के पश्चात ही प्राप्त किया जाना संभव है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–२९०/२०२१ में पारित आदेश दिनांकित १८–०२–२०२१ के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त चिकित्सक ने माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर आघात आख्या को तैयार करने का कथन किया है। जिला चिकित्सालय, फतेहपुर में निर्मित उक्त चोट प्रपत्र के अनुसार चोटहिल का परीक्षण दिनांक ३१–०८–२०१७ को प्रातः ११:३० बजे आरंभ हुआ था। प्रार्थी के शरीर पर लगभग एक दिन पुरानी सख्त व कुंद वस्तु से की गयी छः चोटें अंकित हैं। रेडियोलॉजिस्ट की आख्या दिनांक १६–०९–२०१७ में अनुसार चोटहिल के बाए हाथ में धातु की तीन अस्पष्ट छायाएं (three radio opaque shadow of metalic shadow density noted in the region of left forearm) अंकित हैं। इस प्रकार वर्तमान स्तर पर आघात आख्या को फर्जी मानकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ३०७ भा०दं०सं० में आरोप विरचित न किया जाना उचित व विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र १९ब की याचना जिन आधारों पर की गयी हैं उन आधारों पर याचना को स्वीकार किया जाना उचित व

विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध १४७, १४८, १४९, ४२७ व ५०६ भा०दं०सं० के अतिरिक्त धारा ३०७ भा०दं०सं० में भी आरोप विरचित किए जाने का आधार पर्याप्त है तथा धारा ३०७ भा०दं०सं० के अपराध को कारित किए जाने की उपधारणा किए जाने का भी पर्याप्त आधार है। प्रार्थनापत्र १९ब निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र १९ब निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक १२–०४–२०२१ को पेश हो। अभियुक्तगण नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
(बलात्कार व पॉक्सो एक्ट सम्बन्धी),
न्यायालय सं०२, फतेहपुर।